प्रेस प्रकाशनी

22-03-2022

कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2022-23)" के संबंध में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सभापति तथा संसद सदस्य श्री राकेश सिंह ने 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2022-23)" संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>निधियों की पूर्ण उपयोगिता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं को मिशन मोड में लिए जाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई।</u>	**समिति ने नोट किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के लिए आवंटित 534.88 करोड़ रु. के बीई की तुलना में संशोधित अनुमानों (आरई) को संशोधित करके 644.09 करोड़ रुपये किया गया और दिसंबर, 2021 तक 360.97 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है । यद्यपि मंत्रालय को पूर्ण उपयोग की आशा है, उन्होंने बताया है कि अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता, मध्यम से बड़े वन कवर, बीहड़ स्थलाकृति, प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थितियाँ और विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम के**

	कारण बजट के पूर्वोत्तर घटक का उपयोग नहीं किया जा सका। समिति ने महसूस किया है कि इन बाधाओं के बावजूद सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं चला रही है और इसलिए, कोयला मंत्रालय से यह सिफ़ारिश की है कि वह अन्य आवश्यक कदमों के अलावा अपनी परियोजनाओं को पूर्वोत्तर में मिशन मोड में चलाए ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ बात कर रहा है और यह चाहती है कि उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सहायता के बारे में भी अवगत कराया जाए ताकि क्षेत्र विस्तृत, क्षेत्रीय और संवर्धानात्मक अन्वेषण किया जा सके। सिफारिश क्रम संख्या 1
<u>संशोधित अनुमान चरण में योजना आवंटन और बढ़े हुए आवंटन की मांग की समीक्षा करने की आवश्यकता की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने आगे नोट किया कि कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 1183.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया था जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 314.54 करोड़ रु कर दिया गया। वार्षिक बजटीय आवंटन में कटौतियों के साथ, समिति ने यह महसूस किया है कि वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यों को पूरा करने में कमी आएगी जिससे कोयला उत्पादन, सुरक्षा और कोयले की निकासी भी प्रभावित होगी। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को नियत समय में अपने वार्षिक योजना आवंटन विशेषकर विस्तृत अन्वेषण और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग की समीक्षा करनी चाहिए और जैसाकि उन्होंने इच्छा व्यक्ति की है, संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़े हुए आवंटन की मांग करनी चाहिए। समिति चाहती है कि उसे 2025-26 तक

	अन्वेषण के लिए आवश्यक निधियों के संबंध में मंत्रालय के नोट की मंजूरी की स्थिति से अवगत कराया जाए। सिफारिश क्रम संख्या 2
<u>कोयला कंपनियों द्वारा सभी अनुसंधान और विकास कार्यकलापों तथा उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता की बारीकी से निगरानी करने का आग्रह किया गया।</u>	समिति ने नोट किया है कि यद्यपि, मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अनुसंधान कार्यों के लिए 20.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था, 10.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास, कोयला खानों में सुरक्षा और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और एक सुरक्षित और संरक्षित स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, समिति चाहती है कि सरकार शुरू किए गए सभी अनुसंधान एवं विकास कार्यों की और कोयला कंपनियों द्वारा उनके वाणिज्यिक उपयोग की बारीकी से निगरानी करे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि वर्ष 2022-23 के दौरान आरएंडडी के लिए यदि आवश्यक हो, तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धनराशि मांगी जाए। सिफारिश क्रम संख्या 4
<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई।</u>	<u>प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण</u> समिति ने नोट किया है कि कोयला मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कोयला और लिग्नाइट के लिए प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण का उद्देश्य, विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करना है और इसे विभिन्न एजेंसियों अर्थात सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति ने नोट किया है कि प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन स्कीम के तहत, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान स्तर पर 130 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय संशोधित अनुमान

	के स्तर पर घटाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया और जनवरी, 2022 तक 98.68 करोड़ रुपए के वास्तविक उपयोग का आकलन किया गया है। फिर भी, वर्ष 2021-22 के दौरान 1.50 लाख मीटर के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 1.47 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई। जैसाकि मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक को छोड़कर योजना के तहत निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग किया गया था। समिति उक्त योजना के तहत निधियों के उपयोग और वास्तविक लक्ष्य की उपलब्धि की सराहना करते हुए यह भी चाहती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए, अपनी बात को दोहरात हुए कोयला मंत्रालय से यह सिफ़ारिश की है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले और लिग्नाइट के लिए प्रोत्साहन अन्वेषण की योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को भी वर्ष 2022-23 के दौरान हासिल किया जाए। सिफारिश क्रम संख्या 5
<u>गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के अंतर्गत बजटीय आवंटनों की समीक्षा करने और संशोधित अनुमान चरण में इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने नोट किया है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में सख्त समय सीमा के अनुसार विस्तृत ड्रिलिंग करता है ताकि संकेतित और अनुमानित श्रेणी में आने वाले संसाधनों को मापा (सिद्ध) श्रेणी में लाया जा सके। समिति ने पाया है कि योजना के तहत गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग, बीई, 2021-22 में 200 करोड़ रुपये को आरई स्तर पर बढ़ाकर 350.05 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक 180 करोड़ रु का वास्तविक व्यय हुआ। समिति को सूचित किया गया है कि एनईआर घटक को छोड़कर 100% निधि का उपयोग वर्ष 2021-22 की अनुमानित उपलब्धि को पूरा करने और पिछले वर्ष के 287 करोड़ रुपये के बकाया को चुकाने के लिए किया जाएगा। समिति ने यह भी पाया है कि मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 895 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 175 करोड़ रुपये

	आवंटित किए गए हैं और वर्तमान परिव्यय को 7.50 लाख मीटर के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले केवल 1.60 लाख मीटर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही पर्याप्त बताया गया है। गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए और 7.50 लाख मीटर ड्रिलिंग के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार 175 करोड़ रुपये के वर्तमान बजटीय आवंटन की समीक्षा करे और अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे आरई चरण (2022-23) पर बढ़ाया जाये। सिफारिश क्रम संख्या 7
<u>कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के अंतर्गत बढ़े हुए बजटीय सहायता की मांग करने की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के तहत बजटीय प्रावधान 65.48 करोड़ रुपये था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय 58.23 करोड़ रुपये है। 7.25 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त निधियाँ एनईआर घटक (6.55 करोड़ रुपये) और सामान्य घटक (0.70 करोड़ रुपये) के तहत हैं। चूंकि, इन घटकों के अंतर्गत कोई मांग लंबित नहीं है; इसलिए, इन निधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। समिति ने यह भी नोट किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास हेतु 72 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता के मुक़ाबले 50.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधियाँ पर्याप्त नहीं होंगी क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजना घटक के तहत प्रतिपूर्ति के लिए 44 करोड़ रुपये लंबित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा सड़कों के विकास और रेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, समिति ने सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को संशोधित अनुमान के स्तर पर वर्ष 2022-23 के लिए योजना के तहत बढ़ी हुई बजटीय सहायता की मांग करनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को पूर्वोत्तर घटक के रूप में निर्धारित कोयला मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों के

	उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए क्योंकि ये निधियां साल-दर-साल अप्रयुक्त रहती हैं। सिफारिश क्रम संख्या 10
<u>झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में संशोधित मास्टर प्लान को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने समझा है कि सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में स्वीकृत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे पर झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में 10 वर्षों की अवधि में 9773.84 करोड़ रुपये के निवेश से स्वीकृत सतही अवसंरचना के आग, धंसने, पुनर्वास और विपथन से संबंधित मास्टर प्लान में सभी पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) स्कीमों का विलय कर दिया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि इसे आंशिक रूप से सीआईएल के आंतरिक संसाधनों द्वारा और आंशिक रूप से कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत उत्पाद शुल्क लगाने से एकत्र की गई राशि से वित्त पोषित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड को पहले अपने आंतरिक संसाधनों से 350 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता थी और इतनी ही राशि सकल बजटीय सहायता से वित्त पोषित की जानी थी। हालांकि सीआईएल बार-बार अपना हिस्सा खर्च नहीं कर पाई है। झरिया और रानीगंज कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2019 को पहले ही समाप्त हो चुकी है। समिति ने पाया कि 19वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, ईसीएल द्वारा केंद्रीय खान योजना और संस्थान लिमिटेड-(सीएमपीडीआई), आरआई-1 और एडीडीए और बीसीसीएल के परामर्श से सीएमपीडीआई आरआई-II और जेआरडीए के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए व्यापक मसौदा प्रस्ताव तैयार किए गए थे। दोनों प्रस्तावों के संशोधन को क्रमशः झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति ने यह नोट किया है कि झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में पर्यावरणीय मुद्दों, जिनके लिए मास्टर प्लान को 2009 में मंजूरी दी गई थी, पर शायद अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। समिति ने नोट

	किया है कि अब इस प्रयोजनार्थ एक संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित बताया जाता है। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को निरंतर उठाना चाहिए ताकि संशोधित मास्टर प्लान को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके और दोनो कोलफील्ड में जमीनी स्तर पर स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। सिफारिश क्रम संख्या 11
<u>राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर कोयले की चोरी का मामला उठाने की इच्छा व्यक्त की गई है।</u>	समिति ने नोट किया है कि कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई 2018 में एक मोबाइल ऐप 'खनन प्रहरी' के साथ कोयला खनन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। ऐप आवंटी की लीजहोल्ड सीमाओं से परे अवैध खनन संचालन का पता लगाने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। इसके अलावा, इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अनधिकृत खनन गतिविधि / घटना की रिपोर्ट कर सकता है। तत्पश्चात् प्राप्त शिकायत को दिए गए स्थान पर सत्यापित किया जाता है और सीआईएल की सहायक कंपनियों और राज्य सरकारों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सीएमपीडीआई में मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और उसे सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। कोयले की चोरी को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की सराहना करते हुए, समिति की इच्छा है कि कोयला मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों को विभिन्न स्थानों पर कोयले की चोरी के मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए और इस संकट को समाप्त करना चाहिए। इस संबंध में समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि कोयला मंत्रालय कानून और न्याय मंत्रालय के (विधायी विभाग) की सलाह ले सकता है कि क्या अवैध खनन/चोरी के मामलों को रोकने के लिए कोई उपयुक्त कानून लाया जा सकता है। सिफारिश क्रम संख्या 16

<u>कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आवंटन जारी रखने की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने नोट किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय/निर्देशों के अनुसार, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 204 रद्द की गई कोयला खानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई थी। 106 कोयला खानों में से 46 कोयला खानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से किया गया है जबकि 60 का आबंटन आबंटन के माध्यम से किया गया है। समिति ने यह भी सूचित किया गया है कि दिसंबर, 2021 तक कुल राजस्व 10796.82 करोड़ रुपये है और खान आवंटन के समय से दिसंबर 2021 तक इन कोयला खानों से कुल 176.83 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है। समिति इस उपलब्धि की सराहना की है और उम्मीद की है कि नोडल मंत्रालय इस दिशा में अपने ठोस प्रयासों को जारी रखेगा। समिति इस बात से भी प्रसन्न है कि नीलामी और आबंटन के माध्यम से इन कोयला खानों का प्रस्तावित आबंटन हो रहा है और आशा करती है कि एक बार इन कोयला खानों से उत्पादन शुरू हो जाता है तो कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा जिससे कोयले के आयात के लिए सरकार द्वारा खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा की बचत होगी। समिति कोयला मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि आबंटित कोई भी कोयला ब्लॉक अनुत्पादक न रहे और कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आबंटन अपेक्षित तरीके से जारी रखा जाए। सिफारिश क्रम संख्या 17
<u>कोयला क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को व्यवहार्य बनाने के लिए कदम उठाने की</u>	समिति ने पाया है कि प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा ईंधन के रूप में कोयला दशकों से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और भविष्य में कुछ और दशकों तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालांकि, समिति का मानना है कि बड़े पैमाने पर

<u>सिफारिश की गई।</u>	जीवाश्म संचालित ऊर्जा अर्थव्यवस्था से एक बड़े पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ स्रोतों द्वारा संचालित ऊर्जा में अंतरण के लिए हरित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना एक स्वागत योग्य कदम है। समिति सरकार से वांछित कदम उठाने की सिफारिश की है ताकि कोयला क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश पर लाभ संभव हो सके। साथ ही, वह कोकिंग कोल आदि की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सरकारी उपक्रमों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार किया है और महसूस किया है कि इस दिशा में आगे बढ़ने से निश्चित रूप से मानवता की सेवा होगी। सिफारिश क्रम संख्या 18